


प्रकरण संख्या 21/2025
अनवान सुभाषचन्द्र वगैरा बनाम रवि जाखड़ वगैरा

15.4.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 जरिये अधिवक्ता स्वयं हाजिर आये व राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृति का कथन किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल है। मुताबिक राजीनामा चक 6 एनजीआर के पत्थर नम्बर 165/217 के मु.न. 1 के किला न. 5 व 6 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा उत्तर से दक्षिण की ओर पत्थर नं. 165 के साथ चिपते मे से तथा जो आगे निरन्तर चलता हुआ उक्त पत्थर लाईन 165 के साथ चिपते हुए प्रार्थी नं. 1 व 2 के प.न. 165/217 के किला नं. 15, 16, 25 प्रत्येक में से 2-2 बिस्वा पत्थर नं. 165/218 के किला नं. 5 मे निरन्तर 16.5x30 फुट (2 बिस्वा चौड़ा व 30 फुट लम्बा) उत्तर से दक्षिण की ओर स्वीकृत किया जाता है इसके बदले में प्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने खातेदारी कृषि भूमि जो पत्थर नम्बर 165/217 के मु.न. 1 किला नं. 14 मे 0.033 हैक्ट. व किला नं. 15 में 0.030 हैक्ट. कृषि भूमि जो अप्रार्थी के किला नं. 6 व 7 के साथ चिपते ही दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया